निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 14 / प्रा.प. / 2019 / तारीख दायरा 12.06.2019

रामलाल पिता रोडूलाल जाति लोधा निवासी भूमरिया तहसील मनोहरथाना
– प्रार्थीगण

बनाम

1. रोडूलाल पिता भंवर जाति लोधा निवासी भूमरिया तहसील मनोहरथाना
2. रतनलाल पिता मांगीलाल जाति लोधा निवासी पर्थिपुरा तहसील मनोहरथाना
3. गुलाबचन्द पिता मांगीलाल जाति लोधा निवासी पर्थिपुरा तहसील मनोहरथाना
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक 10.12.2019

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, शपथ पत्र एवं प्रार्थी का अवलोकन करने के पश्चात् अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 10.07.2019 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया था कि ग्राम खजूरी पटवार हल्का बनेठ तहसील मनोहरथाना के माल की प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 की खाता संख्या नया 324 पुराना 309 की खसरा संख्या 198 की 1 बीघा 19 बिस्वा, 201 की 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 249 की 14 बिस्वा कुल 3 किता की 5 बीघा 6 बिस्वा आराजी का अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा बेचान, गिरवे, हस्तान्तरण ना किया जावें एवं खुर्द बुर्द ना करे ना अन्य से करावें। रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। आपत्ति हो तो दिनांक 10.07.2019 को पेश हो, प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। दर्ज रजिस्टर कर तलवी दिनांक 10.07.2019 को पेश हो, अप्रार्थीगण 1 लागयत 3 की ओर से वकील श्री अशोक कुमार लववंशी द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब दिनांक 27.11.2019 को पेश किया गया। बहस का अवसर दिया गया। दिनांक 10.12.2019 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। प्रार्थी वकील ने बताया कि आराजी पुश्तेनी है। अप्रार्थी वकील ने बताया कि यह आराजी अप्रार्थी नम्बर 1 रोडूलाल की स्वअर्जित आराजी है जिसको अप्रार्थी ने बद्रीलाल पिता मोतीलाल जाति किराड निवासी खजूरी से खरीद की गई थी। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के दस्तावेज व अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेज अवलोकन से पाया कि यह आराजी प्रार्थी की पुश्तेनी नहीं है। यह आराजी अप्रार्थी नम्बर 1 की स्वअर्जित आराजी है। स्वअर्जित आराजी होने से प्रार्थी अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता, इस कारण दिनांक 10.07.2019 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो व प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

Scanned by CamScanner